बिहार सरकार
मद्यनिषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग
(निबंधन)
आदेश

का0आ0सं0– 8बी/आरोप-अरा0नि0-18/2024-.....5365/–श्री प्रवीण कुमार, तत्कालीन निम्नवर्गीय लिपिक, जिला निबंधन कार्यालय, जमुई सम्प्रति प्रधान लिपिक, जिला निबंधन कार्यालय, शिवहर के विरूद्ध श्री राकेश कुमार, वार्ड आयुक्त, नगर परिषद् जमुई, महाराजगंज, जमुई के परिवाद पत्र विभाग को प्राप्त हुआ, जिसमें दिनांक–30.11.2023 को जमुई निबंधन कार्यालय में निबंधित दस्तावेज संख्या–13179/2023 खाता सं0–36, खेसरा सं0–141, रकवा–4डी0, मौजा–कल्याणपुर, जमाबंदी संख्या–370/424 का निबंधन जाली दस्तावेज देकर भू–माफियाओं के द्वारा सब–रजिस्ट्रार को गुमराह कर एवं धोखा में रखते हुए निबंधन कराने का आरोप लगाया गया।

2. उक्त के आलोक में विभागीय पत्रांक–38 दिनांक–03.01.2024 द्वारा प्राप्त परिवाद पत्र की प्रति संलग्न करते हुए डॉ0 संजय कुमार, तत्कालीन सहायक निबंधन महानिरीक्षक, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर सम्प्रति उप निबंधन महानिरीक्षक को जाँच हेतु प्राधिकृत किया गया।
3. उक्त निदेश के अनुपालन में डॉ0 संजय कुमार, तत्कालीन सहायक निबंधन महानिरीक्षक, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर द्वारा जाँचोपरांत अपने कार्यालय पत्रांक–46, दिनांक–08.02.2024 के माध्यम से अपना जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया।
4. समर्पित जाँचोपरांत में अंकित निष्कर्ष के आलोक में विभागीय पत्रांक–3605 दिनांक–04.09.2024, पत्रांक–4255 दिनांक–17.10.2024 एवं पत्रांक–4239 दिनांक–24.07.2025 द्वारा श्री प्रवीण कुमार, तत्कालीन नि0व0लि0, जिला निबंधन कार्यालय, जमुई सम्प्रति प्रधान लिपिक, जिला निबंधन कार्यालय शिवहर से स्पष्टीकरण की माँग की गयी जिसके अनुपालन में श्री प्रवीण कुमार ने अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया ।
5. श्री प्रवीण कुमार, के द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण, डॉ0 संजय कुमार, सहायक निबंधन महानिरीक्षक, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर के द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन एवं जिला अवर निबंधक, जमूई के द्वारा समर्पित प्रतिवेदन का अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा समीक्षा की गयी। समीक्षोपरांत पाया गया कि डॉ संजय कुमार, तत्कालीन सहायक निबंधन महानिरीक्षक, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर के जाँच प्रतिवेदन पत्रांक–46 दिनांक–08.02.2024 एवं जिला अवर निबंधक, जमुई के पत्रांक–25 दिनांक–12.01.2024 में स्पष्ट रूप से अंकित किया गया है कि समाहर्त्ता, जमुई के द्वारा जमाबंदी रद्दीकरण अपील वाद सं0–02/2023 राजेश कुमार एवं अन्य ने दिनांक–15.09.2023 को पारित आदेश में उक्त खाता/खेसरा की भूमि रैयती भूमि आदेशित करते हुए जमाबंदी सं0–370/424 पारसनाथ बरियार के नाम से कायम करने हेतु निदेशित किया गया है। समाहर्त्ता, जमुई ने भी अपने अपील वाद सं0–02/2023, दिनांक–15.09.2023 के आदेश में उक्त भूमि को रैयती माना है। अंचल अधिकारी, जमुई के द्वारा भी उक्त भूमि को तपेश्वरी नाथ बरियार व रामसहाय यद्दु प्रसाद के नाम से लगान रसीद सं0–041729, दिनांक–08.10.2021 निर्गत किया गया है तथा अंचलाधिकारी ने खेसरा पंजी में उक्त भूमि को व्यवसायिक श्रेणी में प्रतिवेदित किया गया है। संदर्भित दस्तावेज में वर्णित भूमि गैरमजरूआ भूमि नहीं है एवं उक्त दस्तावेज का निबंधन, निबंधन अधिनियम के प्रावधान के अनुसार ही किया गया है। बिहार निबंधन नियमावली के भाग (ii) पारा 100 के प्रावधानानुसार आवेदक निबंधन पर रोक लगाने एवं निष्पादक/पक्षकारों के अतिरिक्त किसी भी

(6)

6. व्यक्ति को निबंधित दस्तावेज से संबंधित आपत्ति अथवा रद्द कराना चाहता है तो उसे Specific Relief Act के अनुसार सक्षम न्यायालय में वाद दायर कर सकते हैं।
7. अतएव अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा समीक्षोपरांत श्री प्रवीण कुमार, तत्कालीन नि0व0लि0, जिला निबंधन कार्यालय, जमुई सम्प्रति प्रधान लिपिक, जिला अवर निबंधन कार्यालय, शिवहर द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण को स्वीकृत करते हुए श्री कुमार को आरोप मुक्त किया जाता है।
8. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/–
(संजय कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक– 8बी/आरोप-अरा0नि0-18/2024- 5365/– पटना, दिनांक– 15.09.25

प्रतिलिपि–महालेखाकार (ले0 एवं ह0) का कार्यालय, वीरचन्द पटेल पथ, बिहार, पटना /उप निबंधन महानिरीक्षक, बिहार, पटना/सहायक निबंधन महानिरीक्षक, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर/सहायक निबंधन महानिरीक्षक, तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर/जिला कोषागार पदाधिकारी, मुंगेर/जिला कोषागार पदाधिकारी, शिवहर/जिला अवर निबंधक, मुंगेर/जिला अवर निबंधक, शिवहर/प्रशाखा पदाधिकरी, प्रशाखा–06/आई0टी0 मैनेजर, मद्यनिषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु/श्री प्रवीण कुमार, तत्कालीन नि0व0लि0, जिला निबंधन कार्यालय, जमुई सम्प्रति प्रधान लिपिक, जिला अवर निबंधन कार्यालय, शिवहर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव
बिहार, पटना।

15/09/25